

1/3/2021

All-1 उपस्थित। शायँ उपस्थित नही। प्रथँ  
पूर्व में स्वयं उपस्थित हुआ है। फलतः विगत कई  
वर्षों के पेशियों से अशायँ उपस्थित नही हो  
रहा है। शायँ आज भी उपस्थित नही होकर  
कार अन्तराल-अन्तराल में आपाजें लगवा  
गई परन्तु शायँ उपस्थित नही हुआ।

अतः उक्त प्रकरण अदम दायरी अदम  
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर  
बाद तकमील शरिफत दफत है। (अदेश सुनाया गया)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
धौलपुर

है।  
[Signature]